न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 23/2019

नवाब अली राठोड़ एडवोकेट, चेम्बर नम्बर–133 ई ब्लॉक राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 14.8..2019

निर्णय

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को दिनांक 14–5–2019 को आवेदन प्रस्तुत किया था। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत चाही जा रही सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को प्रार्थना पत्र, अधिनियम की धारा 6(3) के तहत पत्र कमांक 2008 दिनांक 21–5–2019 से अन्तरित कर सूचना देने हेतु निर्देशित किया। प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निम्न सूचना चाही गई है:–

1–कस्बा टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 564 रकबा 0.67 है0 किस्म चरागाह का आवण्टन जाट विकास समिति टोडारायसिंह को किसान छात्रावास हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवण्टन राशि जमा करवाई गई है या नहीं अगर जमा करवाई गई है तो कितनी राशि जमा करवाई गई है उसकी रसीद की प्रतिलिपि।

2–किसान छात्रावास के संचालन के लिए समिति का गठन किया गया है या नहीं किया गया है तो कब किया गया व समिति के पदाधिकारी व सदस्यों की सूची की प्रतिलिपि।

3–क्या समिति में सभी जाति/वर्ग/समुदायों के लोगों को सम्मिलित किया गया है या नहीं के सम्बन्ध में दस्तावेज की प्रतिलिपि।

4– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका में निर्णय दिनांक 11–12–2017 के अनुसार खसरा नम्बर 564 रकबा 0.67 है0 पर ही छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है या 0.67 है0 से अधिक पर निर्माण कार्य हो रहा है के सम्बन्ध में दस्तावेजात की प्रतिलिपि।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

5– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्या छात्रावास का नाम एक समुदाय विषेश के नाम पर रखा गया है या सभी जाति / वर्ग पर रखा गया है के सम्बन्ध में दस्तावेजात की प्रतिलिपि।

6– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार छात्रावास का निर्माण कार्य व संचालन किया जा रहा है या नहीं के सम्बन्ध में दस्तावेजात की प्रतिलिपि।

7– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के लोक हित वाद याचिका संख्या 5612/2015 नाथूखॉ पटेल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में निर्णय दिनांक 11–12–2017 का अक्षरश पालन किया जा रहा है या नहीं के सम्बन्ध में दस्तावेजात की प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने अवगत कराया कि वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह से सम्बन्धित होने से आवेदक का प्रार्थना पत्र क्रमांक 2008 दिनांक 21–5–2019 से अन्तरित किया है। जबकि आवण्टन सम्बन्धी सूचना उनके अनुभाग से सम्बन्धित है। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने आवेदक के प्रार्थना का का पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना ही अन्तरित किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य बिन्दुवार सूचना, जो कार्यालय में उपलब्ध है, निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Scanned by CamScanner